केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

(संसद के अधिनियम द्वारा पारित)

जयपुर परिसर, जयपुर (राज.)

के.सं.वि.ज. / प्रशा. / 2021–22 / 1458

दिनांक: 30.11.2021

अधिसूचना

राज्य सरकार के पत्रांक प.7(1)गृह–7 / 2021 दिनांक 26.11.2021 के दिशा–निर्देशानुसार परिसर में भौतिक अध्ययन / अध्यापन हेतु प्राध्यापक, कर्मचारी एवं छात्र–छात्राओं के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश निम्न प्रकार है जिनकी पालना अनिवार्य होगी।

1. सभी के लिए वैक्सीन की दोनों खुराक (1st & 2nd Dose) के प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
2. हाथों को अच्छे से बार–बार हैण्डवॉश एव सेनेटाईज करना अनिवार्य है।
3. छात्रों को भौतिक अध्ययन–अध्यापन के लिए माता–पिता / अभिभावक से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
4. अध्ययन अवधि के दौरान परिसर में एवं आवागमन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। **"No Mask No Entry"** का पालन आवश्यक है।
5. छात्र द्वारा मास्क नहीं लगाने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
6. परिसर एव कक्षा में बैठक व्यवस्था के दौरान कम–से–कम दो गज की दूरी सुनिश्चित करें।
7. परिसर में छात्र किसी भी स्थान पर अनावश्यक रूप से एकत्रित न हो।
8. परिसर में प्रतिदिन काम में आने वाली स्टेशनरी एवं अन्य उपकरणों को सेनेटाईज करना अनिवार्य होगा।
9. यदि कोई छात्र परिसर के मुख्य द्वार से बिना मास्क के परिसर के अन्दर प्रवेश करते है तो इसकी जिम्मेदारी मुख्य द्वार के सुरक्षा प्रहरी की होगी।
10. शैक्षणिक भवन के अन्दर यदि कोई छात्र बिना मास्क और कोविड–19 की गाईडलाईन की अवहेलना करता पाया जाता है तो इसके लिए संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष एवं प्राध्यापक उत्तरदायी होंगे।
11. किसी भी छात्र या परिवार के सदस्य के बीमार होने पर अभिभावक / माता–पिता के द्वारा उसकी सूचना विश्वविद्यालय प्रशासन विभाग को दी जाए।
12. सभी प्राध्यापक, कर्मचारी एवं छात्र विश्वविद्यालय परिसर में कोविड–19 उपयुक्त व्यवहार एवं मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) का सख्ती से पालन करें।
13. समय–समय पर परिसर में चिकित्सा दल द्वारा रेण्डम सेम्पलिंग करवाई जाएगी।
14. शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा लगातार मॉनिटरिंग एवं निरीक्षण के दौरान यदि कोई छात्र कोविड–19 की गाईडलाईन की पालना नहीं करते हुए पाया जाता है तो इसके लिए सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष एवं छात्रावास अधिष्ठाता उत्तरदायी होंगे।

Bhagwati Sudesh

(प्रो. भगवती सुदेश)
निदेशक

प्रतिलिपिः–

1. सभी विभागाध्यक्ष एवं छात्रावास अधिष्ठाता को सूचनार्थ।
2. नोटिस बोर्ड एवं परिसर वेबसाइट पर सूचनार्थ।
3. प्रो. गजेन्द्र प्रकाश शर्मा, आचार्य (शारीरिक शिक्षा) को इस आशय के साथ सूचनीय है कि शैक्षणिक भवन के अन्दर लगातार मॉनिटरिंग एवं निरीक्षण करें तथा गाईडलाईन की अवहेलना करने वाले छात्रों के नाम अधोहस्ताक्षरी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करें।
4. केयर टेकर को निर्देश है कि परिसर में कोविड -19 की गाईडलाईन के अनुसार समय- समय पर सैनेटाइजेशन एवं साफ–सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
5. सुरक्षा प्रहरियों को इस आशय के साथ सूचनीय है कि परिसर के प्रवेश एवं मुख्य द्वार पर छात्रों के प्रवेश एवं निकास के दौरान मास्क एवं सैनेटाइज करना सुनिश्चित करें।
6. छात्र अनुभाग।
7. कार्यालय आदेश।
8. प्रशासन विभाग।
9. संबंधित संचिका।
10. पुस्तकालय विभाग